भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1637

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयले का उत्पादन

1637. श्री सतीश चंद्र दूबेः

श्रीमती दर्शना सिंहः

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में देश में उत्पादित कोयले की कुल मात्रा और 2003-2013 के दशक के लिए संबंधित आंकड़े क्या है; और

(ग) किन कारकों ने उत्पादन में ऐसी वृद्धि या कमी में योगदान दिया?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : वर्ष 2022-23 में देश में कोयले का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 728.72 मिलियन टन की तुलना में लगभग 22.57% की वृद्धि के साथ 893.19 मिलियन टन (मि.ट.) (अनंतिम) था।

पिछले पांच वर्षों में भारत में कोयले का कुल उत्पादन निम्नानुसार है:

(आंकड़े मि.ट. में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
अखिल भारत	728.72	730.87	716.08	778.21	893.19*

* अनंतिम

वर्ष 2003-2013 की अवधि के दौरान भारत में कोयले का कुल उत्पादन निम्नानुसार है-

[आंकड़े मि.ट. में]

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
अखिल भारत	361.25	382.62	407.04	430.83	457.08	492.76	529.71	532.69	539.95	556.40	565.77

(ग) : कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले कारक निम्नानुसार हैं:-

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. राजस्व शेयरिंग कार्यतंत्र पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योगदान देने वाले कारक निम्नानुसार हैं:-

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि परियोजनाएं 1 बि.ट. उत्पादन योजना के अनुसार अपने लक्ष्य में योगदान देने में सक्षम हो सकें।

ii. नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए एससीसीएल द्वारा नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

*****